

गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत शांति अपराधी को किया गया जिलाबदर

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री दिनेश दत्त मिश्रा के कुशल निर्देशन में थाना हलधरपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 14.10.2026 को जिला मजिस्ट्रेट मऊ महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2026, वाद सं०- 385/2026, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या- D202615510000385 सरकार बनाम सुधीर यादव , अंतर्गत धारा 3(1) उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु अभियुक्त सुधीर यादव पुत्र राजकुमार यादव निवासी अरदौना रेहिया थाना हलधरपुर जनपद मऊ को 03 माह की अवधि के लिए जनपद मऊ की सीमा से निष्कासित/ जिलाबदर की कार्यवाही किया गया।

जिला बदर अभियुक्त का विवरण

1. सुधीर यादव पुत्र राजकुमार यादव निवासी अरदौना रेहिया थाना हलधरपुर जनपद मऊ।

आपराधिक इतिहास

1.मु०अ०सं० 265/2023 धारा 34/323/504/427 भादवि० थाना हलधरपुर मऊ

2.मु०अ०सं० 216/2024 धारा 115(2)/351(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना हलधरपुर मऊ

3.मु०अ०सं० 466/2024 धारा 3(5)/115(2)/351(2)/352/333/324(2) बीएनएस थाना सरायलखंशी मऊ।

जिलाबदर करने का दिनांक

1.दिनांक – 14.10.2026

2.अवधि – 03 माह।

मिशन शक्ति फेज-6 अभियान के तहत कम्प्युनिटी हॉल में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के माध्यम से छात्राओं को करियर निर्माण एवं आत्मनिर्भरता के लिए किया गया जागरूक-

महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए समर्पित मिशन शक्ति फेज-6 अभियान के अंतर्गत कम्प्युनिटी हॉल, जनपद मऊ में छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य, शैक्षिक विकास एवं करियर मार्गदर्शन के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से छात्राओं को शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा आत्मनिर्भर बनने के संबंध में जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने, अपने रुचि एवं योग्यता के अनुरूप करियर का चयन करने तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु उपलब्ध निःशुल्क मार्गदर्शन एवं शैक्षिक सुविधाओं की जानकारी देते हुए छात्राओं को इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित किया गया।

इसके अतिरिक्त, छात्राओं को नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन एवं महिला सशक्तीकरण के प्रति जागरूक करते हुए अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने तथा किसी भी प्रकार की समस्या अथवा असुरक्षा की स्थिति में पुलिस एवं संबंधित हेल्पलाइन की सहायता लेने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने तथा समाज में अपनी सशक्त पहचान स्थापित करने का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, मऊ श्री अनूप कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं को शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान कर उनके शैक्षिक एवं व्यावसायिक विकास के लिए प्रोत्साहित किया गया।

मिशन शक्ति फेज-6 अभियान का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें शिक्षा, जागरूकता एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से सशक्त, स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाना है।

मऊ पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज-6 अभियान के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, सशक्तीकरण एवं स्वावलंबन हेतु जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सुरक्षा संबंधी उपायों की जानकारी दी जा रही है।

मिशन शक्ति फेज-6 अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा महिलाओं बालिकाओं एवं छात्राओं को किया जा रहा जागरूक, पंपलेट वितरित कर दी जा रही महत्वपूर्ण जानकारी -

नारी शक्ति का करें सम्मान, तभी बनेगा देश महान।****

मिशन शक्ति 6.0 के चरण के अंतर्गत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तीकरण की ओर सशक्त पहल

शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित मिशन शक्ति फेज-6.0 अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा, के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की पुलिस टीमों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में विभिन्न सार्वजनिक स्थलों स्कूलों कालेजों एवं गांवों में जाकर आमजन, विशेषकर महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है, साथ ही पंपलेट वितरित किया जा रहा है

अभियान के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों, महिला उत्पीड़न एवं लैंगिक अपराधों से बचाव, साइबर अपराधों के प्रति सतर्कता तथा सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही, बालिकाओं को गुड टच-बैड टच की जानकारी, बाल अधिकारों तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया गया।

पुलिस टीमों द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को शासन द्वारा संचालित विभिन्न महिला कल्याणकारी योजनाओं, महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबरों तथा पुलिस सहायता सेवाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। उन्हें किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, छेड़छाड़ अथवा असुरक्षा की स्थिति में बिना किसी भय के पुलिस से संपर्क करने एवं अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया गया।

अभियान के अंतर्गत महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन पुलिस सहायता 112, महिला हेल्पलाइन 181 तथा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के संबंध में भी जागरूक किया गया। इसके साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध सहायता, परामर्श एवं मार्गदर्शन के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया।

जनपद मऊ पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति प्रतिबद्ध है। मिशन शक्ति फेज-6.0 अभियान के माध्यम से महिला सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने, महिलाओं में आत्मविश्वास विकसित करने तथा सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में दिनांक- 15.10.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत टीम गठित कर जनपद के विभिन्न स्थानों पर बदल बदलकर संदिग्ध वाहनो/ व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 236 वाहनो को एमवी एक्ट के अन्तर्गत चालान व 02 वाहन को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी। यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील किया गया है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानों पर पार्किंग नही करें तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही, 01 वारण्टी गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में दिनांक- 15.10.2026 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानों द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग- अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी /बरामदगी व विभिन्न मामलों में वांछित वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई ।

***थानावार कार्यवाही का विवरण*-**

1.थाना घोसी पुलिस द्वारा वांछित वारंटी राजेश साहनी पुत्र स्व० जंग बहादुर निवासी- मकान नं० 171 कस्बा खास थाना घोसी जनपद मऊ ।

अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया ।

नक्कटैया व मारीच वध के आयोजन में ड्यूटी में लगे सभी पुलिस अधिकारी /कर्मचारी गण के साथ मीटिंग कर ब्रीफ किया गया तथा उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेश- निर्देश से अवगत कराया गया ।*

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में दुर्गा पूजा व दशहरा त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह द्वारा थानाध्यक्ष दक्षिण टोला, थानाध्यक्ष रानीपुर व महिला थानाध्यक्ष के साथ नक्कटैया व मारीच वध में लगे सभी पुलिस अधिकारी /कर्मचारी गण के साथ मीटिंग की गई व ब्रीफ किया गया तथा उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेश- निर्देश से अवगत कराया गया । नक्कटैया और मारीच वध की सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए की गई एक महत्वपूर्ण ब्रीफिंग कर सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अपने- अपने दायित्वों के प्रति सतर्क रहने हेतु हिदायत किया गया । नक्कटैया और मारीच वध जैसे आयोजनों में भारी भीड़ जुटती है । ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारी, संवेदनशील स्थानों और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ब्रीफ किया गया । ब्रीफ के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना, यातायात नियंत्रण, और महिला सुरक्षा से सभी बल को अवगत कराकर उच्चाधिकारियों द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया ।

ऑपरेशन कन्विकशन के तहत नाबालिक को कैद कर बलात्कार करने व धमकी देने वाले 01 अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व 21,500/- रु० के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उ०प्र० के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत चिन्हित मु०अ०सं०- 435/2020 धारा 376, 342, 506 भादवि० व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना कोपागंज जनपद मऊ की साक्ष्यपरक विवेचना एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 15.10.2026

को मा0 विशेष न्यायधीश एएसजे/ पाक्सो प्रथम कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा नाबालिक को कैद कर बलात्कार करने व धमकी देने वाले दोषी अभियुक्त चन्दन राजभर पुत्र जमुना राजभर निवासी ग्राम सहरोज थाना कोपागंज जनपद मऊ को 10 वर्ष का कारावास व 21,500/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। अर्थ दंड ना अदा करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

नक्कटैया व मारीच वध के आयोजन के दृष्टिगत जिलाधिकारी मऊ व पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आयोजन को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु किया गया भ्रमण व ड्यूटी में लगे सभी पुलिस अधिकारी /कर्मचारी गण को दिए गए आवश्यक आदेश- निर्देश

आज दिनांक 15.10.2026 को जिलाधिकारी मऊ श्री आनन्द वर्धन व पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा द्वारा नक्कटैया व मारीच वध का आयोजन स्थल का निरीक्षण किया गया तथा आयोजन को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु ड्यूटी में लगे समस्त पुलिस अधिकारी /कर्मचारी गण को उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेश- निर्देश से अवगत कराकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। नक्कटैया और मारीच वध की सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए समस्त अधिकारी और कर्मचारीगणों को अपने- अपने दायित्वों के प्रति सतर्क रहने हेतु हिदायत किया गया। नक्कटैया और मारीच वध आयोजन में अत्यधिक भीड़ के दृष्टिगत ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को शांति व्यवस्था बनाए रखना, यातायात नियंत्रण और महिला सुरक्षा से सभी बल को अवगत कराकर उच्चाधिकारियों द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया।